इकाई-3

सूचना का अधिकार
(Right to Information)

****(इस खंड का संबंध सिविल सेवा (मुख्य परीक्षा) के पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-4 के टॉपिक-7 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-13 से है।*

'सूचना का अधिकार' का अर्थ *(Meaning of 'Right to Information')*

सूचना के अधिकार का अर्थ है- लोगों तक सरकारी सूचना की पहुँच। अर्थात् नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों की सरकारी कार्यों, निर्णयों तथा उनके निष्पादनों से संबंधित फाइलों और दस्तावेज़ों तक औचित्यपूर्ण स्वतंत्र पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सरकारी कार्यकलापों में खुलापन और पारदर्शिता हो। 1992 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रशासन एवं विकास नामक दस्तावेज़ में प्रशासन के सात पहलुओं में से एक पारदर्शिता एवं सूचना भी था।

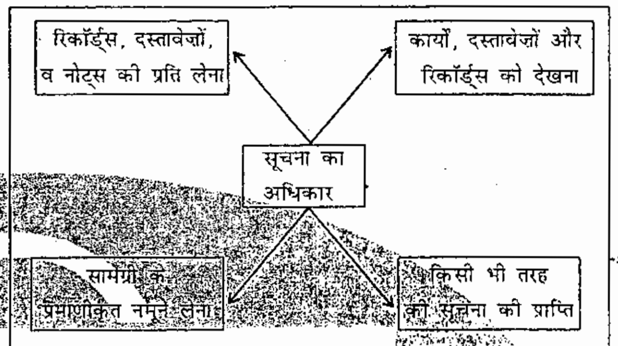

सूचना के अधिकार की आवश्यकता के कारण *(Causes For Need of Right to Information)*

सूचना के अधिकार की आवश्यकता का सर्वप्रमुख आधार यह है कि यह शासन प्रक्रियाओं के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाकर लोगों में सशक्तीकरण लाता है। यह खुले शासन के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण करता है जो लोकतंत्र की आधारशिला बनती है। सूचना का अधिकार सरकार में जनता के अधिकार को बढ़ाता है जो लोकतांत्रिक शासन का महत्त्वपूर्ण आधार है। यह नागरिकों को सरकार में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और सरकार से निर्णय निर्धारण प्रक्रिया की गोपनीयता को हटाकर लोक नीति-निर्माण और प्रशासन में सह-हिस्सेदार बनाता है। इससे लोकहित में समग्र शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलती है। सूचना के अधिकार से सरकार की गुणवत्ता में एक परिवर्तन आया है और जनता तक खुली और पारदर्शी पहुँच के कारण जनता की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता सुनिश्चित हुई है। यह प्रशासन एवं जनता के बीच की दूरी को कम करता है, प्रशासनिक निर्णय-निर्माण में जनहित को प्रोत्साहन प्रदान करता है एवं भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाता है। यह प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यह लोक सेवकों के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के अवसरों को भी कम करता है।

सूचना के अधिकार और सुशासन के मुद्दे *(Issues Related to Good Governance and Right to Information)*

- सूचना का अधिकार एक तो स्वयं एक अधिकार है और कई अन्य अधिकारों को भी सशक्त करता है जबकि सुशासन में मानवाधिकार और मानव विकास के विभिन्न मुद्दे हैं।
- सुशासन का पारदर्शिता आयाम सीधे-सीधे सूचना के अधिकार पर निर्भर है।
- सूचना के अधिकार और सुशासन से निष्पादन मूल्यांकन ज्यादा सशक्त होगा और शासन तथा प्रशासन के बारे में नागरिक तथा समाज ज्यादा सूचित होंगे, इसलिए जबावदेही बढ़ेगी।
- सूचना के अधिकार से सुशासन के श्रेष्ठ अनुभवों के संबंध में तुलनाओं को बढ़ाया जा सकेगा।
- सूचना के अधिकार से सुशासन के लिए लोक सेवाओं में सक्षमता-निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
- राज्य और गैर-राज्य भागीदारी बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को साधन और मानव-विकास को साध्य बनाया जाएगा।
- सूचना से सहमति को सबल बनाया जा सकता है और सहमति सुशासन का अभिन्न अंग है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इनसे मानव विकास सूचक और अन्य सूचकों के संदर्भ में गणनाएँ बेहतर बनेगी, इसलिए जवाबदेही बढ़ सकेगा (पी.सी. होता) समिति ने सुशासन के संदर्भ में राज्यों में स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट (State of Governance Report) लाने का सुझाव दिया)
- इनसे भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलती है।
- सूचना के अधिकार से ई-शासन (E-Governance) को बल मिलता है जिससे कि स्मार्ट शासन (SMART-Simple, Moral, Accountable, Responsive and Transparent Governance) को बढ़ाया जा सकता है।
- सूचना के अधिकार से लोकसेवा मूल्य विकसित होते हैं जो कि सुशासन के लिए जरूरी है।

विश्व में सूचना के अधिकार का इतिहास *(History of Right to Information in world)*

दुनिया भर में स्वीडेन ऐसा पहला देश है जिसने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार के लिए 243 साल पहले सूचना का अधिकार लागू किया था। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं सूचना के अधिकार को लगभग 1940 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण जरूरत मान लिया गया था। 1946 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि सूचना का अधिकार मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार है तथा यह उन सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्रतिष्ठित किया है। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1948 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में घोषणा की कि 'जानकारी पाने की इच्छा रखना, उसे प्राप्त करना तथा किसी माध्यम द्वारा जानकारी एवं विचारों को फैलाना मनुष्य का मौलिक अधिकार है।'

फिनलैंड में 1951 में सरकारी दस्तावेज़ों की सार्वजनिक प्रकृति निर्धारित करने संबंधी कानून के रूप में पारदर्शिता लागू की गयी। कनाडा, अमेरिका, फ्राँस, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की भावनाओं के अनुरूप सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाये। हालाँकि इनमें कई प्रकार के निर्बंधन व अपवाद भी रखे गये। इसके बावजूद पूरी दुनिया में सूचना के अधिकार की लहर चल पड़ी। ब्रिटेन ने अपने सौ वर्ष पुराने गोपनीयता कानून में संशोधन किया।

कनाडा में 'एक्सेस टू इनफॉरमेशन एक्ट, 1982' के जरिये सूचना का अधिकार लागू हुआ। अमेरिका के सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 1974 के तहत सूचना देने का दायित्व शासन पर है। फ्राँस में सरकारी दस्तावेज़ों तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु 1978 में कानून बना। न्यूज़ीलैंड ने 'ऑफिशियल इनफॉरमेशन एक्ट, 1982' बनाया।

सूचना का अधिकार लागू होने से पहले भारत और विश्व परिदृश्य *(Outlook of the world and India Before Implementation of right to information)*

ब्रिटेन दुनिया में शासकीय गोपनीयता कानून बनाने वाला पहला देश है। ब्रिटेन में पहली बार 1889 में शासकीय गोपनीयता कानून बना था। जब ब्रिटेन में ऐसा कानून लाया जा रहा हो तो भारत को उससे अलग रखने का कोई कारण नहीं था। उसी वर्ष भारत में भी 'शासकीय गोपनीयता कानून, 1889' लागू कर दिया गया। कालांतर में पत्रकारिता पर अंकुश लगाने के लिए 1904 में उस कानून में संशोधन करके कुछ प्रावधानों को और कड़ा कर दिया गया। इसके तहत समस्त अपराधों को संज्ञेय एवं गैर-जमानतीय बना दिया गया। बाद में ब्रिटेन तथा भारत में इस कानून में कई परिवर्तन हुए। अंततः भारत में नया कानून 'शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923' बना। वह कानून आज भी देश में लागू है, भले ही सूचना के अधिकार ने उसे अप्रासंगिक कर दिया हो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 में स्पष्ट लिखा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गोपनियता अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में 'गोपनीयता' की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा दी जाती रही है। यह सरकार पर निर्भर है कि वह किस बात को गुप्त करार दे। यह कानून किसी भी सामान्य सरकारी दस्तावेज़ को 'गोपनीय' करार देकर किसी भी व्यक्ति को जेल की हवा खिलाने के लिए पर्याप्त है। इस रूप में, इस कानून ने कार्यपालिका को असीमित, अपरिभाषित एवं निरंकुश अधिकार दे रखा है। हालाँकि इसमें न्यायालय यह तय कर सकता है कि कोई बात गोपनीय है अथवा नहीं। फिर भी, अगर कार्यपालिका चाहे तो किसी नागरिक या पत्रकार को इस कानून के सहारे आसानी से प्रताड़ित कर सकती है।

स्वधीनता के बाद कई महत्त्वपूर्ण संस्थाओं/आयोगों ने इस कानून को बदलने या इसमें व्यापक फेरबदल की सिफारिश की। प्रथम प्रेस आयोग, 1954 ने भी इस बात को दोहराया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1968 के देशमुख अध्ययन दल ने शासकीय गोपनीयता संबंधी प्रावधानों की अतार्किक एवं अनावश्यक प्रावधानों, जिनके कारण सूचनाओं के प्रवाह में बाधा आती है, को हटाने

Copyright– Drishti The Vision Foundation

की मांग की। भारतीय विधि आयोग ने 1971 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा' पर अपनी रिपोर्ट में शासकीय गोपनीयता कानून 1923 की धारा पाँच का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि ऐसे सामान्य प्रकटीकरण पर, जिनसे राज्य-हित प्रभावित नहीं होते हों, मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। ऐसी ही सिफारिशें भारतीय प्रेस परिषद् 1981 ने 'ऑफिशियल सीक्रेसी एंड द प्रेस' नामक अपनी रिपोर्ट में किया। द्वितीय प्रेस आयोग 1982 ने भी इसे निरस्त करने की मांग की।

इन सिफारिशों के बावजूद अब तक यह कानून कायम है। हालाँकि सूचना के अधिकार ने इसे अप्रासंगिक बना दिया है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2006 ने तो इस कानून को निरस्त कर देने का सुझाव दिया है। अमेरिका के न्यायधीश बर्गर ने रोजेनब्लेट बनाम बेयर (1966, 383, यूएस 75, 49-95) नामक वाद में कहा था- "जनता के सुनने का अधिकार उसके बोलने के अधिकार में अंतर्निहित है। आम नागरिकों के लिए सूचना पाने का अधिकार सरकार या किसी प्रसारण लाइसेंसधारी या किसी व्यक्ति के किसी विषय पर अपने विचारों को प्रसारित करने के अधिकार से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।"

हेराल्ड जे. लास्की के अनुसार- "जिन्हें भरोसेमंद और वास्तविक सूचनाएँ नहीं मिल पातीं, उनकी स्वतंत्रता खतरे में है। आज नहीं तो कल उनका नष्ट होना स्वाभाविक है। सत्य किसी भी राष्ट्र की मुख्य धरोहर है और जो उसे दबाने या छिपाने की कोशिश करते हैं अथवा जो उसके उजागर होने से भयभीत रहते हैं, बर्बाद होना ही उनकी नियति है।"

भारत में सूचना के अधिकार का इतिहास *(History of Right to Information in India)*

पूरी दुनिया में सूचना की आज़ादी के आंदोलनों से भारत में भी इसकी ज़रूरत महसूस हुई। हालाँकि यह माना जाता रहा है कि भारत के संविधान की धारा 19(1)(क) में जानने का अधिकार भी निहित है। इसमें सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार देने की बात है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं अलग से उल्लेख नहीं है। प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदत्त इस स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी अंतर्निहित माना गया है। इसी तरह, सूचना के अधिकार को भी इसका अनिवार्य अंग बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार के अनुकूल निर्णय दिए गए हैं जैसे कि-

- इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ, 1985 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों को सरकार के संचालन संबंधी सूचनाओं के विषय में जानने का अधिकार है।
- हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1960, में कहा गया कि सामान्य हित के विषयों पर विचार और सूचना ग्रहण करने तथा पाने का अधिकार भी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है।
- हिम्मतलाल बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद 1973, मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था- लोकतंत्र की मूल अवधारणा यह है कि नागरिकों की सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। यह सहमति स्वतंत्र और स्वाभाविक होने के साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पर्याप्त सूचनाओं और विचार-विमर्श पर आधारित होनी चाहिए।

द्वितीय प्रेस आयोग, 1981 के अनुसार- "लोकतंत्र का आधार जागरूक और जानकार जनमत है, और जनता अपना मत तभी बना सकती है, जब उसे पूरी जानकारी हो। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार के पास जो भी जानकारी है, वह जनता को उपलब्ध हो।"

10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ में कहा गया है कि अगर सूचना को अधिकार के तौर पर सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाये तो शासन के लिए विकास योजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो जायेगा।

भारत में सूचना के अधिकार के लिए सबसे ठोस, स्पष्ट एवं अनवरत् आंदोलन राजस्थान के किसानों ने चलाया। अरुणा राय एवं निखिल डे के नेतृत्त्व में "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" आंदोलन भारत में सूचना के अधिकार का अगुवा बना। 1975 में आईएएस की नौकरी छोड़कर जनांदोलनों से जुड़ी अरुणा राय ने 1987 में राजस्थान के देवडूंगरी गाँव में एक संगठन की नींव रखी- 'मज़दूर किसान शक्ति संगठन'। भारत के पूर्व एयर मार्शल पी.के.डे. के पुत्र निखिल डे तथा स्थानीय कार्यकर्त्ता शंकर सिंह की मदद से इस संगठन ने जल्द ही अपनी मज़बूत पकड़ बना ली। इसके नेतृत्व में मजदूरी, आजीविका के साधन तथा जमीन के सवालों पर आंदोलन तेज हुआ।

इसी तरह, विकास योजनाओं में गबन तथा कम मजदूरी के खिलाफ 1993 में आरंभ अभियान ने धीरे-धीरे पारदर्शिता के लिए आंदोलन का रूप लिया। इसी दौरान, 'अपना गाँव, अपना काम' योजना में भारी अनियमितता का भंडाफोड़ करने के लिए इससे संबंधित दस्तावेज़ों की मांग करते हुए 15 जून, 1994 को भीम राजसमंद में धरना दिया गया। इसी वर्ष जून महीने में पाली जिले के कोट किराना गाँव में ग्रामीणों के दबाव में बीडीओ द्वारा किये गये जाँच में फर्जीवाड़े का पता चला। इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-सुनवाई का अनूठा प्रयोग शुरू हुआ। जन-सुनवाई में दस्तावेज़ों को ग्रामीणों के बीच जाँच के लिए पेश करने पर भारी गड़बड़ियों का पता चला। चार जिलों में जन-सुनवाई के आधार पर मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भ्रष्ट अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया। लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद मजदूर किसान शक्ति

Copyright- Drishti The Vision Foundation

संगठन ने जानने के अधिकार को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। 1 मई, 2000 को राजस्थान विधानसभा ने सूचना का अधिकार कानून पारित किया। इसी दिन पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके वार्ड सभा एवं ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। 26 जनवरी, 2001 से राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। राजस्थान को सूचना का अधिकार देने वाले पहले राज्य का श्रेय भले ही न मिला हो, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को पूरे देश में इसकी अवधारणा और उदाहरण पेश करने का ऐतिहासिक गौरव अवश्य प्राप्त हुआ।

भारत में सूचना का अधिकार लागू होने के विविध चरण
(Various Steps of Implementation of Right to Information in India)

- भारत में 1989 में प्रधानमंत्री बने श्री वीपी सिंह ने 3 दिसंबर, 1989 को देश के नाम अपने पहले संदेश में संविधान संशोधन करके सूचना का अधिकार प्रदान करने तथा शासकीय गोपनीयता कानून में संशोधन की सर्वप्रथम घोषणा की थी। हालाँकि सरकार इसे लागू नहीं कर पायी।
- 1 मार्च, 1990 को केन्द्र सरकार ने शासकीय गोपनीयता कानून में संशोधन संबंधी बिंदुओं पर अर्द्धशासकीय पत्र निर्गत करके जानने का प्रयास किया कि शासकीय गतिविधियों में गोपनीयता को किस तरह कम किया जा सकता है।
- अक्टूबर, 1995 में लालबहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में सूचना के अधिकार पर कार्यशाला हुई। इसमें सूचना के अधिकार पर आंदोलनरत् प्रमुख लोगों तथा अधिकारियों ने विचार-विमर्श करके सूचना के अधिकार का एक प्रारूप तैयार किया।
- 24 मई, 1997 को नयी दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसका विषय था- "प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्य-योजना का निर्माण।" इसमें सूचना का अधिकार कानून बनाने पर सहमति हुई। कार्मिक एवं लोक-शिकायत मंत्रालय ने अपनी 38वीं रिपोर्ट में भी ऐसे कानून की सिफारिश की।
- 1996 में गांधी शांति प्रतिष्ठान (नयी दिल्ली) में नेशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉरमेशन (NCPRI) का गठन हुआ। एनसीपीआरआइ तथा भारतीय प्रेस परिषद् ने जस्टिस पी.बी सावंत के नेतृत्व में मसविदा दस्तावेज़ तैयार किया तथा इसे भारत सरकार को सौंपा गया।
- सरकार को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाये रखने के लिए एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। शौरी समिति ने मई 1997 में 'सूचना स्वातंत्र्य विधेयक' का प्रारूप प्रस्तुत किया। एच.डी. शौरी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
- वर्ष 2001 में संसद की स्थायी समिति ने सूचना स्वातंत्र्य विधेयक अनुमोदित किया।
- दिसंबर, 2002 में संसद ने सूचना स्वातंत्र्य विधेयक पारित किया।
- जनवरी, 2003 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 6 जनवरी, 2003 को इसे अधिनियम संख्या 5/2003 के बतौर अधिसूचित किया गया। लेकिन इसकी मियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया।
- मई, 2004 में केन्द्र में यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया। परिषद् ने सूचना के अधिकार का एक मुकम्मल दस्तावेज़ प्रस्तुत किया।
- संसद में सूचना का अधिकार विधेयक 22 दिसम्बर, 2004 को पेश किया गया। यह विधेयक 2002 के कानून से बेहतर ज़रूर था, लेकिन इसमें कई खामियाँ थीं।
- अंतत: इसे मार्च, 2005 में संसद में पेश किया गया।
- यह 11 मई, 2005 को लोकसभा में 144 संशोधनों के साथ पारित हुआ।
- 12 मई को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया।
- 12 जून, 2005 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी।
- इस तरह, 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार कानून पूरे देश में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) प्रभावी हो गया। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार से जुड़े निकायों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी प्राप्त है।

कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य *(Some Important Facts)*

- सूचना के अधिकार के संदर्भ में केन्द्रीय कानून बनने से पहले देश के नौ राज्यों- तमिलनाडु (1997), गोवा (1997), राजस्थान

Copyright– Drishti The Vision Foundation

(2000), कर्नाटक (2000), दिल्ली (2001), असम (2002), मध्य प्रदेश (2002), महाराष्ट्र (2002), जम्मू-कश्मीर (2004) में यह अधिकार लोगों को मिल चुका था।

- कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने सूचना का अधिकार लागू करने की कोशिश की। हालाँकि उसे सफलता नहीं मिली।
- तमिलनाडु विधानसभा ने 17 अप्रैल, 1997 को सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया। इस तरह, भारत में ऐसा पहला कानून बनाने का श्रेय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि को मिला। इसके तीन महीने बाद ही, जुलाई 1997 में गोवा विधानसभा ने विधेयक पारित करके ऐसा दूसरा राज्य होने का गौरव पाया।
- मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 में मध्य प्रदेश राइट टू इनफॉरमेशन बिल तैयार किया। 1997 में इसे कैबिनेट में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने इस विधेयक को पारित करके आश्चर्यजनक रूप से राज्यपाल के बदले राष्ट्रपति के पास मंजूरी हेतु भेज दिया। यह विधेयक कभी वापस नहीं लौटा। पाँच साल बाद, 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने पुन: नया विधेयक पारित करके लागू किया। (हालाँकि मध्य प्रदेश के बिलासपुर संभाग के कमिश्नर हर्ष मंदर ने 1995 से 1997 के बीच सार्वजनिक विवरण प्रणाली, परिवहन, ग्रामीण विकास योजनाओं, साक्षरता, रोज़गार से जुड़े दस्तावेज़ों में पारदर्शिता के महत्त्वपूर्ण प्रयास किये)।
- राजस्थान वह राज्य है, जहाँ सूचना के अधिकार के लिए सबसे पहले और सबसे जबरदस्त आंदोलन हुआ। भारी जनदबाव के कारण 1995 में मुख्यमंत्री भैंरोसिंह शेखावत ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि जल्द ही सूचना का अधिकार लागू किया जाएगा, लेकिन जनता को अगले पाँच वर्षों तक निरंतर आंदोलन करना पड़ा। मई, 2000 में राजस्थान विधानसभा ने सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया।
- महाराष्ट्र में 11 दिसंबर, 2000 को सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ, लेकिन यह बेहद कमज़ोर था। इसमें विभिन्न महत्त्वपूर्ण सूचनाओं पर पाबंदी थी। इसलिए सूचनावादियों को यह कानून बेहद अपर्याप्त लग रहा था। यही कारण था कि अन्ना हजारे ने राज्य में जोरदार आंदोलन चलाकर एक बेहतर कानून बनाने का दबाव डाला। महाराष्ट्र सरकार ने नया विधेयक बनाने के लिए 10 सितंबर, 2001 को समिति गठित की तथा अप्रैल, 2002 में विधानसभा में नया विधेयक आया। साथ ही, 23 सितंबर 2002 को एक अध्यादेश लाया गया। मार्च, 2003 में महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदन ने विधेयक पारित कर दिया तथा 10 अगस्त, 2003 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी। इस अध्यादेश को 23 सितंबर, 2002 से लागू माना गया।
- मई, 2001 में दिल्ली में सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ और उसे 02 अक्टूबर, 2001 से लागू किया गया।
- उत्तर प्रदेश ने कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन एक्सेस टू इनफॉरमेशन, 2000 पारित किया। हालाँकि इसके प्रावधान बेहद सीमित होने के कारण इसकी खास प्रासंगिकता नहीं देखी गयी।
- अंतत: वर्ष 2005 में सूचना का केन्द्रीय कानून अपने वास्तविक रूप में सामने आया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 *(Right to Information Act, 2005)*

शासनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार भी है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि। प्रत्येक नागरिक कर (Tax) का भुगतान करता है। अत: उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर के रूप में दी गई राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियाँ, सारांश अथवा दस्तावेज़ों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम पूरे भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में लागू है। इसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।

सूचना (Information): सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल और आँकड़े सम्बन्धी सामग्री सम्मिलित हों। साथ ही, किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी सम्मिलित है, जिस तक विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtiias.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अधिकार (**Right**): सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं-

- दस्तावज़ों एवं अभिलेखों का निरीक्षण।
- दस्तावज़ों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
- फ्लॉपी डिस्क, टेप, विडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्रिंट आउट लेना।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नांकित सूचना को प्रकट नहीं करने की छूट दी गयी है-

- सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो।
- सूचना जिसके प्रकटन से किसी न्यायालय की अवमानना हो।
- सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हों।
- सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, के प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो।
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
- सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो।
- सूचना जिसके प्रकटन से अन्वेषण या अपराधियों को गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन आये।
- मंत्रिमंडल के कागज़-पत्र जिसमें मंत्रीपरिषद् के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं।
- इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सूचना, जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है।

सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध *(Request for Obtaining Information)*

सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। निम्नांकित उपायों द्वारा कोई व्यक्ति सूचना प्राप्ति हेतु अनुरोध कर सकता है-

- लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेज़ी या हिंदी में या क्षेत्र की राजभाषा में जिसमें आवेदन किया जा रहा हो; ऐसी फ़ीस के साथ जो केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा विहित किया जाये।

अनुरोधों का निपटारा *(Disposal of Request)*

किसी भी दशा में सूचना की प्राप्ति फीस संदाय के तीस दिन के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी परन्तु जहाँ मांगी गयी सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। जहाँ कोई लोक प्राधिकारी समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य *(Objectives of RTI Act)*

- लोक प्राधिकारी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना और उत्तरदायित्व बढ़ाना।
- लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण या उसके अधीन उपलब्ध सूचना तक आम लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करना।
- एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करना; और
- उनसे संबंधित या उनसे जुड़े विषयों का उपबंध करना।

स्वरूप: तीन स्तरीय

- केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी।
- लोक सूचना अधिकारी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

केन्द्रीय सूचना आयोग *(Central Information Commisssion)*

सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को लाया गया है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त (दस से अधिक नहीं) होते हैं। यह प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

- प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- लोकसभा में विपक्ष का नेता; और
- प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त-विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनमाध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा।

केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग अपना कार्यालय केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में भी स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा शर्तें
(Terms of office and condition or service)

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा लेकिन उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा- शर्तें वही होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हैं। सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा- शर्तें वही होंगे जो निर्वाचन आयुक्त के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाना
(Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner)

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा निम्नांकित परिस्थितियों में भी इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है-

- दिवालिया होने पर
- अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर
- पदावधि के दौरान कहीं और वैतनिक नियोजन में लगे होने पर
- मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने पर
- भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या करार से सम्बद्ध होने पर।

राज्य सूचना आयोग *(State Information Commission)*

राज्यों में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए राज्य सूचना आयोग को लाया गया है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त (दस से अधिक नहीं) होते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- विधानसभा में विपक्ष का नेता; और
- मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा।

राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपना कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा शर्तें *(Terms of Office and Condition or Service)*

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा लेकिन उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा-शर्तें वही होंगी जो भारत के निर्वाचन आयुक्त के हैं। राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा-शर्तें वही होंगे जो राज्य के मुख्य सचिव के हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना *(Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner)*

राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा निम्नांकित परिस्थितियों में भी इन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है-

- दिवालिया होने पर;
- अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर;
- पदावधि के दौरान कहीं और वैतनिक नियोजन में लगे होने पर;
- मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने पर और
- सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या करार से सम्बद्ध होने पर।

आयोग की शक्तियाँ और कार्य *(Powers And Functions of Commission)*

केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का यह कर्त्तव्य होगा की वह किसी व्यक्ति से निम्नांकित शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे-

- जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गयी कोई जानकारी तक पहुँच के लिए इनकार कर दिया गया है।
- जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गयी है, जो अनुचित है।
- जो यह विश्वास करता है की उसे अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गयी है; और
- इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले में जाँच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907 के अधीन किसी वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, जैसे-

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- समन जारी करना और शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज़ पेश करने के लिए उनको विवश करना।
- दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
- शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ लेना।
- साक्षियों या दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए समन ज़ारी करना और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

सूचना उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह

- समुचित सरकार।
- लोक प्राधिकारी।
- सक्षम प्राधिकारी।

"समुचित सरकार"

किसी लोक प्राधिकरण के संबंध में समुचित सरकार से तात्पर्य है-

- केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित संगठन।
- राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित संगठन।

लोक प्राधिकारी *(Public Authority)*

लोक प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था से है, जो-

- संविधान द्वारा या उसके अधीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य कानून द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य कानून द्वारा, समुचित सरकार द्वारा ज़ारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित हो।

"सक्षम प्राधिकारी" *(Competent Authority)*

सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है-

- लोकसभा व राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा या राज्य विधानपरिषद् के सभापति,
- उच्चतम न्यायालय की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश,
- किसी उच्च न्यायालय की स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
- संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में राष्ट्रपति या राज्यपाल,
- संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।

अपील *(Appeal)*

- व्यक्ति को समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होने पर वह ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है।
- दूसरी अपील पहली अपील के विनिश्चय वाली तारीख से नब्बे दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की होगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

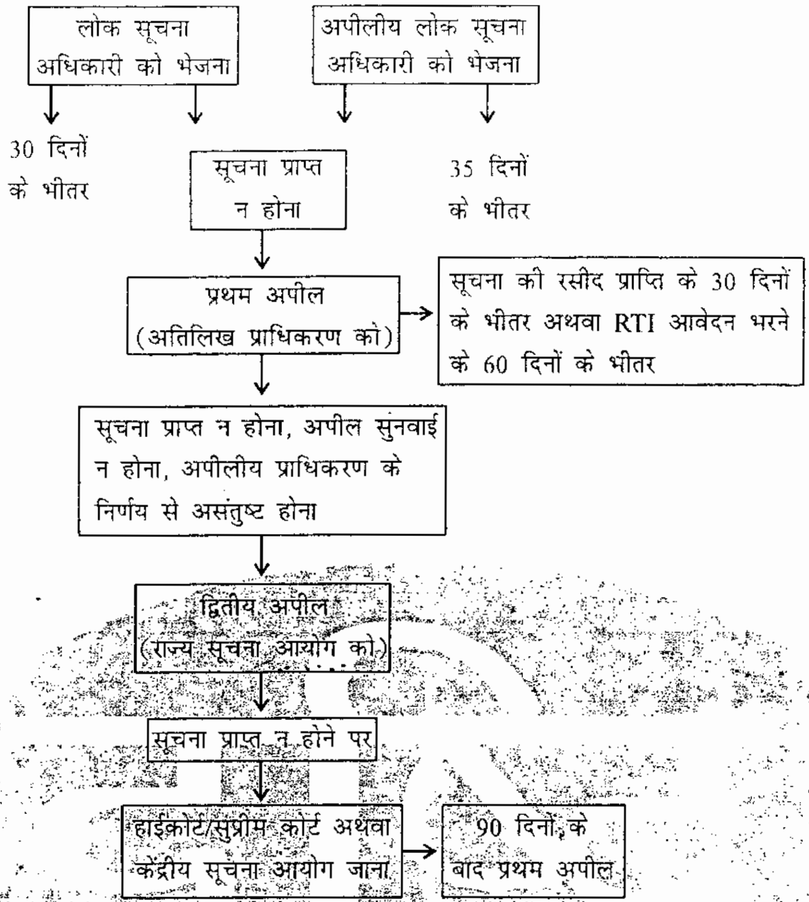

शास्ति *(Penalties)*

केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की राय में जब कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी बिना किसी आवश्यक कारण के आवेदन लेने से इनकार करता है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देता है; या ऐसी सूचना नष्ट कर दी है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी और यह कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। कुछ मामलों में लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश का भी प्रावधान है।

सूचना का अधिकार बनाम राजनीतिक दल *(Right to Information Vs Political Party)*

आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चन्द्र अग्रवाल ने सूचना के अधिकार के माध्यम से कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों का ब्यौरा मांगा था। लेकिन राजनीतिक दलों ने स्वयं को इस कानून के दायरे से बाहर बता कर यह जानकारी देने से मना कर दिया। श्री अग्रवाल ने इस मामले को सामाजिक संगठन एडीआर की ओर से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष पेश किया। आयोग ने 3 जून, 2013 को ऐतिहासिक फैसला देते हुये कहा कि राजनीतिक पार्टियाँ सरकार से रियायती दरों पर देश भर में जमीन, भवन और संचार जैसी तमाम सुविधाएँ वसूल रही हैं, इसलिए राजनीतिक दलों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने आय और व्यय का ब्यौरा जनता को बताएँ।

केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार कानून की धारा 2(एच) (i) और (ii) के तहत छह राजनीतिक दल लोक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी) हैं, क्योंकि वे काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।

राजनीतिक दलों ने आयोग के फैसले के प्रति नाराजगी अभिव्यक्त की। उनका तर्क था कि यह फैसला स्वीकार करने पर सभी दलों को देश भर में अपने सभी पार्टी कार्यालयों पर सूचना अधिकारी तैनात करने होंगे जो कि सीमित संसाधनों वाले दलों के लिए व्यावहारिक तौर पर मुमकिन नहीं होगा और दूसरी दलील यह थी कि इसके लागू होते ही आरटीआई आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी

Copyright– Drishti The Vision Foundation

जिसे राजनीतिक दलों के लिए संभालना नामुमकिन होगा। राजनीतिक दल न सार्वजनिक संस्थाएँ हैं न सरकारी संस्थाएँ और वे सरकार से फंड भी नहीं लेते। लिहाजा उन्हें आरटीआई के दायरे में नहीं होना चाहिए। ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा सकती है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दुर्भावना के साथ राजनीतिक दलों के केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के पास आरटीआई आवेदन दाखिल करेंगे जिससे उनका राजनीतिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा।

केंद्र सरकार ने एक अतिमहत्त्वपूर्ण फैसला करते हुए राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान करने वाले एक संशोधन विधेयक प्रस्ताव को 1 अगस्त, 2013 को मंजूरी दे दी। 12 अगस्त, 2013 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने इस संशोधन को लोकसभा में पेश किया था। इस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 5 सितम्बर, 2013 को इसे राज्यसभा सदस्य शांताराम नाइक की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसद की स्थाई समिति को भेज दिया गया था। समिति अभी इस पर विचार विमर्श कर रही है।

सूचना के अधिकार अधिनियम में विभिन्न तरह की चुनौतियाँ
(Various Challenges in Right to Information Act)

- सूचना के रख-रखाव का आधुनिकीकरण आवश्यकतानुसार नहीं किया जा सका है।
- सूचना के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार में पारस्परिक विरोधाभास है। (दोनों को ही न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों से जोड़ा है।)
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उभरती असुरक्षा की वजह से सूचना के अधिकार को लागू करने में देरी होती है (जैसे कि ब्रिटेन में यह कानून 2000 में लाया गया किंतु उसे 2005 में लागू किया जा सका।)
- कुछ देशों में ऐसे कानून प्रतिबंधात्मक ज्यादा हैं।
- कहीं-कहीं सूचना में अनावश्यक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ भी हैं।
- कुछ निजी क्षेत्रों में भी सूचना के अधिकार को लागू करने की जरूरत है।
- सूचना के अधिकार के कानून के अनुसार सिविल सेवाओं की कार्य संस्कृति एवं आचार संहिताओं में उचित परिवर्तन नहीं लाए जा सके हैं।
- सूचना के अधिकार के कानून और Manual of Office Procedure के मध्य असंगतियों को II-ARC की पहली रिपोर्ट में रखा गया।
- स्थानीय सरकारों के लिए लाए गये कानूनों में सूचना के अधिकार और नागरिक चार्टर के संबंध में कमियाँ हैं।
- कुछ देशों में शिकायत निवारण के उचित तंत्र को लाये जाने में कमियाँ हैं।
- यद्यपि इलेक्टॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, लेकिन कम्प्यूटर (Computer) साक्षरता में कमी का प्रतिकूल असर है।
- नागरिकों में दूसरों की गोपनीयता के अधिकार के आदर की प्रवृत्तियों में कमियाँ हैं।
- एक संघीय व्यवस्था में संघीय स्तर पर लाए गये कानूनों के संदर्भ में राज्यों में लागू करने में संघ-राज्य मतभेद बने रहते हैं।
- शिकायत-निवारण व्यवस्था में अभी भी क्षेत्रीय स्तर पर उचित पहुँच में कमियाँ बनी हुई हैं। (II-ARC ने केन्द्रीय सूचना आयुक्त और बड़े राज्यों में राज्य सूचना आयोगों में ऐसी समस्याओं को रखा)
- अभी भी आवश्यकतानुसार सूचना के अधिकार और जनसम्पर्क में प्रशिक्षण देने में कमियाँ हैं।

12 राज्यों में सूचना के अधिकार की प्रगति का विवरण
(Discription of Progress of Right to Information in 12 states)

12 राज्यों में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रगति की स्थिति का आकलन एशिया में सहभागी शोध (PRIA) के द्वारा किया गया। इन बारह राज्यों में शामिल थे- हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात एवं बिहार। इन राज्यों में राज्य सूचना आयोगों के गठन, इनकी भूमिका, नोडल एजेंसियों की भूमिका, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, इनसे सूचना प्राप्ति के अनुभव, RTI अधिनियम की धारा IV में प्रकट बाध्यताएँ एवं अधिनियम की धारा 26 के तहत लोगों को RTI के बारे में शिक्षित करने में सरकार की भूमिका इत्यादि का अध्ययन किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

(i) राज्य सूचना आयोग का गठन एवं भूमिका- अध्ययन में पाया गया कि इन 12 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी 11 राज्यों में सूचना आयोग अगस्त 2006 तक गठित किये जा चुके थे। परंतु इनमें से कुछ राज्यों जैसे- बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में राज्य सूचना आयोगों की स्थापना में कुछ महीनों की देरी हुई। इन्हें पर्याप्त अवसंरचनाएँ जैसे कार्यालय, कम्प्यूटर, स्टॉफ व निधियाँ आदि उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कार्यबोझ ज्यादा था और केवल दो सूचना आयुक्त ही नियुक्त किये गये थे। बिहार राज्य सूचना आयुक्त ने हाल ही में शपथ ली थी परंतु कार्यालय का पता वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था। राजस्थान सूचना आयोग एक कमरे में कार्य कर रहा था। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना करने पर भी राज्य सूचना आयोग उनको दण्डित करने के अनिच्छुक थे। इस तरह के मामले में दण्डित करने के बहुत कम उदाहरण थे (उत्तराखण्ड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही कुछ पेनाल्टी के मामले देखे गये थे)। ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों ने महसूस किया कि अपील प्रक्रिया काफी महँगी थी (मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में अपील के लिये फीस का प्रावधान था)। हालाँकि डाक के माध्यम से अपील करने का प्रावधान था परंतु लोगों को लगता था कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पक्ष को सही ढंग से नहीं रखा जा सकेगा। आवेदन शुल्क हरियाणा में सर्वाधिक था (50 रु) एवं फोटोकॉपी फीस सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में थी (10 रु प्रति पृष्ठ)

(ii) नोडल एजेंसियों की भूमिका- उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं केरल में लोक सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से शुरू की गई। सुशासन के लिये केन्द्र, यशादा (पुणे) एवं लोक प्रशासन संस्थान की देखरेख में सर्वेक्षण वाले राज्यों के लोक सूचना अधिकारियों (PIO) के लिये प्रशिक्षण कार्य चल रहा था। सूत्र विभागों (Line Departments) एवं खण्ड विकास अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी का प्रशिक्षण संतुष्टिपूर्ण नहीं था। इनमें से कई तो अधिनियम के प्रति जागरूक भी नहीं थे। प्रखण्ड विकास अधिकारियों (BDO's) और पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण नोडल एजेंसीज द्वारा कैसे दिया जायेगा यह स्पष्ट नहीं था। कोई समय सीमा व रोडमैप तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश में ही 52 हजार ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाना था और बजट केवल दस लाख वार्षिक था। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, आदि राज्यों की नोडल एजेंसी ने RTI सीखने की सामग्रियों (टेम्पलेट, पर्चे आदि) के माध्यम से सूचना प्रसारित की। वहीं अन्य राज्यों में इसकी गति काफी धीमी थी। केरल में RTI एक्ट मलयालम में था, जिसे पढ़े-लिखे लोगों को समझने में कठिनाई आ रही थी।

(iii) लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति- कई जगह लोक अथॉरिटी की परिभाषा को लेकर संदेह व्याप्त था। कुछ राज्यों में जैसे केरल में कई लोक अथॉरिटी वर्ग-ऑपरेटिव बैंक, सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं घोषणा कर रही थीं कि वे RTI एक्ट के तहत नहीं आतें। इसी तरह हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में बाँधों के निजी बिल्डर एवं निजी बैंक भी घोषणा कर रहे थे। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों को इस मुद्दे को स्पष्ट करना आवश्यक है। हरियाणा एवं पंजाब के उच्च न्यायालयों में (जो कि लोक अथॉरिटी है) कोई लोक सूचना अधिकारी नहीं थे। कई जगह ऐसे व्यक्तियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया जिनकी सूचना तक आसान पहुँच ही नहीं थी। उत्तराखण्ड में सरपंच को लोक सूचना अधिकारी बना दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में प्रखण्ड विकास अधिकारी के ग्राम पंचायत तक को लिये PIO नियुक्त किया गया। PIOs सामान्यतः विभाग के जूनियर अधिकारियों को बनाया गया जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना लेने में कठिनाई आती थी। PIOs की नियुक्ति की गई किन्तु लोक प्राधिकरणों की आवश्यकता के अनुसार नहीं। अधिकतर लोक प्राधिकरणों में (यहाँ तक कि जिला स्तर पर भी) PIOs के नाम पट्टिकाओं का अभाव पाया गया, जिससे लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आवेदन कहाँ जमा किये जायें।

(iv) PIOs से सूचना प्राप्ति का अनुभव- राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकतर PIOs सहयोगी नहीं थे, कई बार वे आवेदक के आवेदन वापस लेने आ जाते थे। ऐसा उदाहरण हरियाणा में देखने को मिला। ऐसे ही कुछ उदाहरण, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में देखे गये। अधिकतर PIOs यह नहीं जानते थे कि किस अधिकारी के अधीन आवेदन शुल्क निक्षेपित किया जाये। ये अधिकतर अनुपस्थित रहते थे और उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य आवेदन नहीं होता था। शुल्क पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से ली जा सकती थी परंतु अधिकतर PIOs ने ऐसी फीस यह कह कर लौटा दी थी कि पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से फीस लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ही PIOs पक्षतापपूर्ण ढंग से कई लोगों से बिना पैसे लिए उन्हें सूचना दे रहे थे। लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए PIOs को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और जानबूझकर दोषपूर्ण कार्य करने वाले PIOs को या सूचना देने से इंकार करने पर सजा दी जानी चाहिये।

(v) RTI अधिनियम की धारा IV में प्रकट बाधाएँ- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं आंध्र प्रदेश के मंत्रालय एवं निदेशालय स्तर के कार्यालयों ने अपनी क्रियाविधियों की जानकारी अपनी वेबसाइट में दी हुई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, राजस्थान एवं बिहार के सरकारी विभागों में RTI अधिनियम की धारा IV के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाये थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग ने RTI एक्ट की धारा IV के बहुत से मुद्दे अपना लिए थे। कार्यालयीन एवं PIOs की सूची मंत्रालयों व निदेशालयों में नहीं थी। साथ ही खर्चों का विवरण केवल वरिष्ठों के हाथों में था, जिला

Copyright– Drishti The Vision Foundation

व प्रखण्ड स्तरीय फण्ड का विवरण उपलब्ध नहीं था, दिनांक आदि नहीं डाली जाती थी। यह भी देखा गया कि इन 12 राज्यों में जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर स्व-प्रकटीकरण प्रारंभ नहीं किया था।

(vi) RTI एक्ट की धारा 26 के तहत लोगों को शिक्षित करने की सरकार की भूमिका- RTI के अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुभव दर्शाता है कि लगभग 90% लोग एक्ट के प्रति जागरूक नहीं हैं, एवं वे आवेदन करने को जागरूक नहीं हैं। शिक्षित लोगों विशेषत: सरकारी सेवकों के लिए RTI का कम उपयोग प्रतिबंधित है। RTI का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग सभी राज्यों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम था। सरकार ने RTI को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का न ही इस्तेमाल किया और न ही कोई अभियान चलाया। केन्द्रीय एवं राज्य दोनों सरकारों ने RTI अभियान के लिए न ही कोई निधि अखंडित की और न ही नोडल एजेंसियों का कोई सहयोग किया।

सूचना का अधिकार: एक आकलन *(Assessment of Right to Information)*

लोक कल्याणकारी एवं जवाबदेह शासन का प्रमुख आधार सूचना का अधिकार है। संवेदनशील एवं स्मार्ट शासन को मूर्त रूप देना और जनता का विश्वास अर्जित करना प्रशासकों के सामने एक चुनौती बन चुका है। सूचना का अधिकार एक्ट उस आम आदमी के लिए प्रभावी हथियार है जिनकी नौकरशाही में सीधी कोई जान पहचान या दखल नहीं है। इससे शोषण और मनमाने व्यवहार पर अंकुश लग सकेगा और भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे प्रशासन एवं शासन में जनसहभागिता, मूल्यांकन, फीडबैक और सुधार सुझाव जैसे कारकों का समावेश होगा।

इससे प्रशासनिक निर्णयों में तार्किकता और तटस्थता बढ़ती है, लोक प्रशासन को भी जनता की भावनाओं और रुझानों का पता चलता है तथा प्रशासनिक गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ती है। सजग संवेदनशील एवं उत्तरदायी प्रशासन का विकास होता है। वैसे भी सूचना, ज्ञान, प्रतिभा, जानकारी में स्वयं को बंधन मुक्त करने की नैसर्गिक शक्ति होती है।

सूचना अधिकार के दुष्परिणाम पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism), दूसरों पर टालने (Buckmastership) की प्रवृत्ति के रूप में भी आ सकते हैं। भारत में व्याप्त निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी आदि से बाधाएँ आ सकती हैं। भारतीय प्रेस परिषद् के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत के अनुसार - अगर सूचना के अधिकार के साथ-साथ अन्य संस्थाओं जैसे- जनसंचार माध्यमों, गैर सरकारी संगठनों तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त को सक्षम नहीं बनाया गया तो यह अधिकार निरर्थक सिद्ध होगा।

दूरगामी परिणाम- आज पूरा विश्व एक गाँव की तरह परिलक्षित होता है। कंप्यूटर एवं संचार तकनीक ने समय एवं दूरी के अभाव को समाप्त कर दिया है फिर राजकीय सूचनाओं के अधिकार से व्यक्ति क्यों वंचित रहे? अधिकांश ग्रामीण सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसका प्रमुख कारण अशिक्षा व अधिकारों के प्रति अचेत रहना है। वैसे गाँवो में संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टी.वी., इन्टरनेट आदि के माध्यम से लोग अपने अधिकारों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में "ज्ञानदूत" योजना के तहत कई सूचना केंद्र खोले जाते हैं। यहाँ से कोई भी व्यक्ति कई दस्तावेज़ प्राप्त कर सकता है और अधिकारियों को शिकायत भेज सकता है। इस परियोजना को स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। अब इस सूचना का विस्तार पूरे प्रदेश में कर दिया गया है।

RTI द्वारा पंचायत या ब्लॉक के रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। गाँव वाले आवश्यकता पड़ने पर इस विषय पर एक जन सुनवाई का आयोजन भी कर सकते हैं। इस जन सुनवाई में गाँव के सभी लोगों को बुलाया जायेगा व विकास कार्यों संबंधी जो जानकारी RTI के उपयोग व गाँववासियों की अपनी जाँच से प्राप्त हुई है उसे सबके सामने रखा जायेगा तथा जनसुनवाई में उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है।

सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव *(Important Suggestions For Empowering Right to Information)*

- आरटीआई एक्ट की जानकारी आम लोगों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाई जाए, ताकि इसका सार्थक उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा सके। इसके लिए न केवल सरकारी स्तर पर प्रयास हो बल्कि विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएँ, जनआन्दोलन व जनसंचार माध्यम भी इस विषय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- आरटीआई एक्ट की मूलभूत बातों के प्रति किसी भी दृष्टिकोण से आम जनता को परिचित कराया जाए, अन्यथा सूचना का अधिकार निश्चय ही विधि ग्रंथों में दबकर रह जाएगा।
- शासकीय विभाग व संस्थाएँ सूचना प्राप्त करने संबंधी सामान्य प्रक्रिया व नियम आदि बिल्कुल सरल भाषा में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित करें, ताकि भ्रम की कोई स्थिति शेष न रहे।
- शासकीय निकाय अथवा प्रवर्तन तंत्र में केवल वही लोग नियुक्त किये जाएँ जिनकी योग्यता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, चारित्रिक मूल्य व प्रतिष्ठा जनसाधारण में सुविख्यात हो।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- जनसाधारण को भी अपने सूचना सम्बन्धी अधिकारों के प्रति जागरूक होने की महती आवश्यकता है।
- भविष्य में निजी क्षेत्र को भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सूचना के अधिकार की परिधि में लाने जाने के गंभीर प्रयास होने चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र भी वास्तव में लोक सहयोग से ही चलता है अत: इसे किसी भी दशा में गोपनीयता का लाभ देकर जनहित के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।
- इस सबके अतिरिक्त सरकार अपने क्रियाकलापों में स्वत: ही पूर्ण ईमानदारी, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व की संस्कृति विकसित करे जिससे की लोगों को अपना सूचना संबंधी अधिकार प्रयुक्त करने की आवश्यकता ही प्रतीत न हो।

सूचना के अधिकार को बेहतर रूप से लागू करने के सुझाव
(Suggestions for Better Implications of Right to Information)

सूचना के अधिकार कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलुओं एवं सुझावों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है-

- संविधान समीक्षा आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोक पदाधिकारियों को गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ दिलाई जाए।
- वह निजी क्षेत्र जो महत्त्वपूर्ण रूप से राज्य से कार्य लेता है उसमें भी सूचना का अधिकार कानून लागू किया जाए।
- मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 19 में सूचना के अधिकार के प्रावधान किये जाएँ।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना लेने की प्रवृत्ति बढ़े, इसके लिए कम्प्यूटर साक्षरता बढ़ाई जाये।
- सूचना के अधिकार के कानून के अनुरूप सिविल सेवाओं की आचार संहिताओं को बदला जाये।
- सूचना के अधिकार के सन्दर्भ में शिक्षा और जागरूकता को लाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जाये।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सूचना अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों को भी सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने की सिफारिश की है।
- सुशासन के सन्दर्भ में राज्य सरकार रिपोर्ट में पारदर्शिता एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो।
- अधीनस्थ और संलग्न संस्थाओं में भी इसे लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग प्रयास करें।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के अभिलेखों या सूचना रखरखाव के आधुनिकीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम की सिफारिश की है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने एकल खिड़की एजेंसी (Single Window Agency) के प्रयोग एवं स्वतंत्र लोक अभिलेख कार्यालय की सिफारिश की है जिससे पारदर्शिता बढ़ाने के प्रावधान प्रभावी हो सकें।
- द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने केन्द्रीय और राज्य समिति (नियुक्ति के लिए सिफारिश के सन्दर्भ में) में एक कैबिनेट मंत्री के स्थान पर क्रमश: उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करने की सिफारिश की है।

सूचना का अधिकार किसी भी रूप में होने वाले सत्ता के निरंकुश प्रयोग को पूर्णतया निरुत्साहित करता है। यह हमारे देश की लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को सही अर्थों में न्यायपूर्ण, कार्यकुशल, जनता के प्रति संवेदनशील, पारदर्शी व उत्तरदायित्व की भावना से अनुपूरित करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। जनमानस अब सूचना के अधिकार को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए शासन की प्रत्येक इकाई से जवाबदेही की मांग कर सकता है। इस कानून के द्वारा लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चत करके उनकी अकर्मण्यता, अकुशलता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, निरंकुशता, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति पर एक प्रकार का प्रभावी अंकुश लगा दिया गया है। इसी व्यवस्था का परिणाम है की आज देश का साधारण से साधारण नागरिक भी शासकीय व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने में सक्षम हो गया है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग *(Second Administrative Reform Commission)*

प्रथम रिपोर्ट-सूचना का अधिकार

आयोग को सौंपे गए प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं-

- सरकारी दस्तावेज़ों की, विशेष रूप से आधिकारिक गुप्तता अधिनियम के सन्दर्भ में गोपनीयता वर्गीकरण की समीक्षा करना,

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अवर्गीकृत डाटा की पारदर्शिता और सुलभता प्रोत्साहित करना; और
- नागरिकों के सूचना के अधिकार के पूरक के रूप में सूचना का प्रकटन और पारदर्शिता।

रिपोर्ट दो भागों में है-

(1) भाग एक-इसमें आधिकारिक गुप्तता एवं गोपनीयता संबंधी मुद्दे हैं। यह तीन अध्यायों में विभाजित है-

(i) आधिकारिक गुप्तता (ii) नियम और प्रक्रियाएँ (iii) गोपनीयता वर्गीकरण

(2) भाग दो-इसमें अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के आवश्यक उपायों पर ध्यान दिया गया है। यह चार अध्यायों में विभाजित है-

(i) अधिकार और दायित्व (ii) कार्यान्वयन के मुद्दे

(iii) न्यायपालिका पर कानून को लागू करना (iv) कठिनाइयों को दूर करना।

आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

(1) भाग एक

अधिकारिक गुप्तता

- आधिकारिक गुप्तता अधिनियम 1923 को निरस्त करके इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के एक अध्याय के रूप में शामिल किया जाए।
- सार्वजनिक मामलों में मंत्रीगण, पदभार सभालने के समय पारदर्शिता की शपथ लें।
- सशस्त्र सेनाओं को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।
- अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की समय-समय पर समीक्षा की जाए।
- द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध सभी संगठनों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाएँ। पीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपील सीआईसी/एसआईसी के पास फाइल की जानी चाहिए।

नियम और प्रक्रियाएँ

- सिविल सेवा नियमों में यह शामिल किया जाए की प्रत्येक सरकारी सेवक सद्भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में जनता को अथवा किसी संगठन को सही एवं पूरी जानकारी देगा परंतु अनधिकृत एवं अनुचित लाभ हेतु नहीं।

गोपनीयता वर्गीकरण

- RTI अधिनियम के अंतर्गत छूट में अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और परीक्षा प्रश्नपत्रों व सम्बद्ध मामलों को शामिल करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
- एक बार परम गुप्त अथवा गुप्त के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज़ों को 30 वर्ष तक और प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज़ों को 10 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे ही बने रहना चाहिए।
- दस्तावेज़ों की ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी निम्नांकित स्तर के हों-
  - परम गुप्त-संयुक्त सचिव से कम स्तर का नहीं।
  - गुप्त-उप सचिव से कम स्तर का नहीं।
  - गोपनीय-अवर सचिव से कम स्तर का नहीं।

साथ ही राज्य सरकारें समकक्ष रैंक के अधिकारियों को ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्राधिकृत कर सकती हैं।

(2) भाग दो

अधिकार और दायित्व

- सीआईसी की चयन समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ) गठित करने के लिए अधिनियम की धारा 12 को संशोधित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, राज्य का मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ चयन समिति गठित करने के लिए धारा 15 को संशोधित किया जाना चाहिए।
- भारत सरकार को सभी राज्यों में 3 माह के अन्दर एसआईसी का गठन सुनिश्चित करना चाहिए।
- सीआईसी को 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने चाहिए जिनमें प्रत्येक का अध्यक्ष एक आयुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार बड़े राज्यों में एसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने चाहिए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- सूचना आयोग के कम से कम आधे सदस्य गैर सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले होने चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियमों में ऐसा प्रावधान किया जा सकता है जो सीआईसी और एसआईसी दोनों पर लागू हो।
- एक से अधिक PIO वाले सभी मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/कार्यालयों का एक नोडल सहायक लोक सूचना अधिकारी हो। समुचित सरकारों द्वारा नियमों में ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सकता है।
- केंद्रीय सचिवालयों में PIO कम से कम उप सचिव स्टार का होना चाहिए। राज्य सचिवालय में, ऐसे ही रैंक के अधिकारियों को PIO के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। सभी अधीनस्थ एजेंसियों और विभागों में, रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को, किन्तु जो जनता के लिए सुलभ हों, PIO के रूप में पदनामित किया जा सकता है।
- सभी अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा सलाह दी जा सकती है कि लोक सूचना अधिकारियों के साथ-साथ अपीलीय अधिकारी पदनामित किये जा सकते हैं।
- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए अपीलीय प्राधिकारियों का मनोनयन और अधिसूचना या तो नियमों के तहत अथवा अधिनियम की धारा 30 का इस्तेमाल करके की जा सकती है।
- सूचना को सरकारी भाषा में मुद्रित, समूल्य प्रकाशन के रूप में स्वमेव प्रकटन के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। इसके लिए एकल पोर्टल की व्यवस्था हो।
- भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र प्राधिकरण रूप में तथा सभी राज्यों द्वारा वर्तमान में अभिलेख पालन में लगी अनेक एजेंसियों को एकीकृत करके 6 महीने के अन्दर सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय स्थापित करना चाहिए।
- यह अभिलेख कार्यालय सीआईसी/एसआईसी के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा।
- भारत सरकार को अभिलेखों को अद्यतन बनाने, अवस्थापना सुधारने, संहिताएं तैयार करने तथा सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय स्थापित करने के लिए, पांच वर्ष तक की अवधी के लिए सभी अग्रणी कार्यक्रमों की निधियों का 1 प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए और इसकी अधिकतम 25% राशि का उपयोग जागरूकता सृजन के लिए किया जाए।
- भारत सरकार सभी भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए एक भू अभिलेख आधुनिकीकरण निधि कायम कर सकती है।
- जिलों में 2001 के अंत तक डीजीटीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ले और उप जिला स्तर के संगठन 2011 तक यह कार्य कर लें।
- सभी सरकारी कार्मिकों को आरटीआई का वर्ष में कम से कम एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाये।
- जागरूकता अभियान राज्य स्तर पर एक विश्वसनीय गैर लाभकारी संगठनों को सौंपे जाएँ, बहु मीडिया अभियान हो जो की स्थानीय भाषा में हो।
- सरकारों को गाइड और समझ योग्य सूचना सामग्री प्रकाशित करनी चाहिए।
- राज्य, क्षेत्रीय, जिला और उप-जिला स्तर पर उपयुक्त मॉनिटरिंग प्राधिकारी द्वारा जहाँ कहीं आवश्यक हो, एक नोडल अधिकारी विनिर्धारित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण, अपने कार्यालय के साथ ही अधीनस्थ सरकारी प्राधिकरणों में भी एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हों।
- मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित की जाए। समिति राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी, भारत व अन्यत्र सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रलेखबध्य व प्रसारित करेगी, राष्ट्रीय पोर्टल के सृजन और कार्यकरण की मॉनिटरिंग करेगी, अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकारों द्वारा जारी नियमों और कार्यकारी आदेशों की समीक्षा करेगी।

कार्यान्वयन में मुद्दे

- नियमों में संशोधन करके पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से अदायगी को सम्मिलित किया जाए।
- राज्यों को केंद्रीय नियमों के अनुरूप आवेदन-पत्र फीस के सम्बन्ध में नियम तैयार करने चाहिए।
- राज्य सरकारें फीस की अदायगी की एक विधि के रूप में उपयुक्त राशि के समुचित स्टाम्प जारी कर सकती हैं।
- डाकघरों को नगद रूप में फीस प्राप्त करने और आवेदन पत्र के साथ रसीद भेजने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।
- भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नोडल एजेंसी है। उसके पास सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत् सार्वजनिक प्राधिकरणों की एक पूर्ण सूची होनी चाहिए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इन सार्वजनिक प्राधिकरणों का वर्गीकरण निम्नांकित प्रकार हो- संवैधानिक निकाय, एक समान एजेंसियाँ, सांविधिक निकाय, सरकारी क्षेत्रक उपक्रम, कार्यकारी आदेशों के तहत स्थित निकाय, पर्याप्त रूप से वित्त पोषित स्वामित्व वाले नियंत्रित निकाय और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित एनजीओ।
- सरकारी प्राधिकरण के पास उसके अधीन तत्काल अगले स्तर के सभी सरकारी प्राधिकरणों के ब्यौरे हों।
- जिला कलेक्टर/उपायुक्त अथवा जिला परिषद् के कार्यालय में प्रकोष्ठ की स्थापना करके एकल खिड़की एजेंसी कायम की जाए।
- किसी भी संगठन में सबसे निचले स्तर के कार्यालय को, जिसे निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो अथवा जो अभिलेखों का अभिरक्षक हो, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- कोई भी सरकारी सूचना जिसे किसी गैर सरकारी निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया हो वह आरटीआई के अंतर्गत प्रकट की जा सकेगी।
- किसी भी संस्थान को सरकार से ''पर्याप्त निधियन'' प्राप्त समझा जायेगा (अगर उसकी वार्षिक प्रचालन लागत का कम से कम 50% अथवा पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में एक करोड़ रुपये के बराबर अथवा अधिक राशि प्राप्त हुई हो)।
- अनुरोध पर 20 वर्ष पुराने अभिलेख उपलब्ध करने की व्यवस्था केवल उन सरकारी अभिलेखों पर लागू होनी चाहिए जिन्हें ऐसी अवधि के लिए परिरक्षित रखे जाने की ज़रूरत हो।
- देरी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए राज्य स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण कायम कर सकते हैं।
- यदि अनुरोध तुच्छ अथवा कष्टकर हो या अनुरोध पर कार्यवाही करने में पर्याप्त और अनावश्यक रूप से सरकारी निकाय के संसाधनों का विचलन हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अपीलीय अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

न्यायपालिका पर कानून को लागू करना

- नागरिकों को अभिलेखों की पुन:प्राप्ति की सुलभता हो इसलिए विधानमंडलों को सूची-पत्र तैयार करने और अभिलेखों के डीजीटीकरण का कार्य करवाना चाहिए।
- सीएजी, जांच आयोगों और सदन की समितियों की रिपोर्टों के सम्बन्ध में कार्यपालिका शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।
- जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में अभिलेखों को वैज्ञानिक ढंग से भंडारित किया जाए और इनकी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ समयबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकृत की जाये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इकाई-4

नागरिक घोषणा-पत्र
(Citizen Charter)

****(इस खंड का संबंध सिविल सेवा (मुख्य परीक्षा) के पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र-2 के टॉपिक-6 से है। दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-5 से है।*

नागरिक घोषणा-पत्र नागरिकों के अधिकार संबंधी एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य मूलरूप से किसी भी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक उन्मुख बनाना है। इस घोषणा-पत्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है एवं आमजनों से सुधार संबंधी सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। वास्तव में एक स्वस्थ लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्त करने वाले अधिक से अधिक संतुष्ट हों।

सामान्यत: नागरिक घोषणा-पत्र जनसेवाओं से संबंधित विभागों के लिए जारी किए जाते हैं एवं इनका उद्देश्य जनसेवाओं को त्वरित एवं जनोन्मुखी बनाना है। अत: सामान्य अर्थों में नागरिक घोषणा-पत्र का आशय किसी संगठन द्वारा जनहित में जारी किए गए वैसे संक्षिप्त दस्तावेज़ से है जिसमें प्रशासनिक पारदर्शिता, कार्यकुशलता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेहिता जैसे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रक्रिया, कार्य निष्पादन की निश्चित अवधि के साथ जनता के अधिकारों सहित उनकी शिकायत निवारण की प्रणाली वर्णित कर दी जाती है।

सत्ता एवं आम जनता के बीच सौहार्द्रपूर्ण स्थिति को बढ़ावा देने, लोक कल्याण उन्मुखी पहल आदि जैसे आवश्यक तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए विश्वभर में प्रशासनिक तंत्र को जनता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु विगत दो दशकों में तीव्रता से प्रयास हुए हैं। 1991 में सर्वप्रथम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत की। इन अधिकार पत्रों में संगठन (प्रशासनिक कार्यालय) के उन सभी नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं एवं अधिकारों का वर्णन होता है जो जनता के हितों का संवर्द्धन करते हैं। इतना ही नहीं, इन अधिकार पत्रों के द्वारा जनता को प्रशासन के प्रति जागरूक करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करने को महत्त्व दिया जाता है। नागरिक घोषणा-पत्र की स्थापना के पश्चात् ब्रिटेन में प्रगति के नए आयाम उभरकर सामने आए, वह यह कि यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष संसद के समक्ष विभिन्न मंत्रालयों द्वारा स्थापित घोषणा-पत्र की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। यह नागरिक घोषणा-पत्र राज्य के नागरिकों के लिए सेवा संगठनों का ऐच्छिक वायदा है। कार्यालय के प्रत्येक मेज पर शिकायतों के लिए शिकायत पुस्तिका की व्यवस्था होती है एवं इन शिकायतों की सुनवाई विभाग के बाहर के अधिकारी द्वारा की जाती है। अत: हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में नागरिक घोषणा पत्र काफी लोकप्रिय है।

भारत के संबंध में अगर हम नागरिक घोषणा-पत्र की पृष्ठभूमि पर विचार करें तो यह पाएंगे कि भारत की नौकरशाही व्यवस्था में जनता को लोक सेवा की ईमानदारी, निष्ठा एवं जवाबदेही के प्रति विश्वास नहीं रहा है। अत: इस स्थिति में जनता का प्रशासन की निष्पक्षता में विश्वास बढ़ाने के लिए 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन मूलरूप से लोक सेवा को अधिक कार्यकुशल, जवाबदेह, पारदर्शी एवं लोक उन्मुख बनाने के उद्देश्य से किया गया था। अत: नागरिक घोषणा-पत्र आंदोलन की शुरुआत प्रशासन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से हुई। यद्यपि भारत में सरकार एवं ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा नागरिक घोषणा-पत्र स्थापित कर जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिसमें कतिपय सुधार अपेक्षित हैं जैसे- यह घोषणा-पत्र एक सहभागितापूर्ण प्रक्रिया है। अत: यहाँ सहभागिता में वृद्धि करने हेतु प्रयास आवश्यक हैं।

नागरिक घोषणा-पत्र की विशेषताएँ *(Features of Citizen Charter)*

नागरिक घोषणा-पत्र सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने का एक सबल माध्यम है। यह 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रचलित हुई नवीन अवधारणा है जो किसी संगठन के कार्यों में पारदर्शिता, संवेदनशीलता, कार्यकुशलता एवं जन संतुष्टि की दिशा में अग्रसर होती है। अत: इसके माध्यम से प्रशासनिक संगठन की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित हैं।

नागरिक घोषणा-पत्र में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होते हैं-

नागरिक घोषणा-पत्र के प्रारंभिक भाग में कतिपय संगठन नागरिक घोषणा-पत्र जारी किए जाने की पृष्ठभूमि तथा इसकी उपयोगिता का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत संगठन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता लाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, कार्य निष्पादन में सुधार करना, प्राप्त होने वाले सुझावों का विश्लेषण कर उसमें आवश्यक सुधार द्वारा उसका संगठन के हित में उपयोग करना एवं लोकतांत्रिक प्रशासनिक मूल्यों की स्थापना करना आदि वर्णित होते हैं।

नागरिक घोषणा-पत्र के तीसरे भाग में उस संगठन के कार्यक्षेत्र, लक्षित वर्ग आदि का वर्णन होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि नागरिक घोषणा-पत्र किन सेवाओं एवं किन वर्गों के लिए है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtiias.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

नागरिक घोषणा-पत्र के चौथे भाग में यह वर्णन रहता है कि संगठन की सेवाएँ प्राप्त करने वाले आमजनों के क्या-क्या अधिकार हैं और सुविधाएँ एवं अधिकार की प्रकृति क्या है।

नागरिक घोषणा-पत्र के पाँचवें भाग में यह वर्णित होता है कि प्रशासन की कौन-सी शाखा किस कार्य को निष्पादित करती है एवं उस शाखा से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने हेतु समयावधि निश्चित कर दी जाती है। भारत में अधिकांश विभागों में नागरिक घोषणा-पत्र में प्राय: यह समायावधि वर्णित होती है। भारतीय लोकतंत्र एवं आमजनों के हितों में इस भाग का विशिष्ट महत्त्व है। इससे जनता को समय पर किसी भी काम पर लाभ मिल जाता है।

नागरिक घोषणा-पत्र के अंतिम भाग में यह वर्णित होता है कि यदि शासन/प्रशासन के किसी स्तर पर कोई कमी नियत अवधि में संपन्न न हो पाए तो उस स्थिति में आमजन की शिकायत का स्थान क्या हो। अर्थात् आम जनता अपने कार्यों के लिए नियत अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करेंगे। अत: इस स्थिति में नागरिक घोषणा-पत्र प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं जनता की अधिकतम संतुष्टि के माध्यम के रूप में सामने आता है।

भारत में 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' लागू होने के बाद कुछ प्रशासनिक संगठनों ने अपने नागरिक घोषणा-पत्र में इस अधिकार का विवरण देना भी शुरू किया है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणा-पत्र निर्मित किए गए और आम जनता के लिए जारी किए गए हैं।

नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक *(Citizen Charter Bill)*

नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक, 2011 को मार्च, 2013 में केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृति मिल गई। इस विधेयक में आमजनों को एक तय समय सीमा के भीतर सेवा पाने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में ज़िम्मेदार सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने से लेकर कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर सेवा न प्रदान करने वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये जुर्माना लगाने का फिलहाल प्रस्ताव है, परंतु जुर्माने की राशि 50000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। यह जुर्माने की राशि उन कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी।

'सूचना का अधिकार' कानून की तर्ज पर यह विधेयक पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत् आने वाली सेवाओं को राज्यों को अपने नागरिक घोषणा-पत्र में शामिल करना होगा। इस विधेयक में नागरिक घोषणा-पत्र के अंतर्गत सरकार से सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन भी शामिल होंगे। इस विधेयक में कई नागरिक केंद्रित सेवाओं का समावेश किया गया है जैसे- आयकर रिटर्न, पेंशन, जाति प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि। यद्यपि दिल्ली, बिहार एवं मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में नागरिक घोषणा-पत्र कानून पहले से ही लागू है, लेकिन इस केंद्रीय नागरिक घोषणा-पत्र से संपूर्ण देश में इसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक के मुताबिक सभी सरकारी विभागों को एक नागरिक घोषणा-पत्र तैयार कर उसे प्रकाशित करना होगा। घोषणा-पत्र में संबंधित विभाग की तरफ से दी जाने वाली सभी सेवाओं का उल्लेख होगा। इन सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा होगी। प्रत्येक काम के लिए एक ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम एवं पद भी प्रकाशित किए जाएँगे। इस घोषणा-पत्र विधेयक में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि एक केंद्रीय शिकायत निवारण आयोग होगा। इस आयोग का मुख्य कार्य समय सीमा में कार्य नहीं होने की स्थिति में लोगों की शिकायतें सुनने का होगा। इस आयोग में शिकायतों के निपटारे हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त होंगे। यह अधिकारी शिकायत दर्ज करने में जनता की मदद करेंगे। इसके अंतर्गत की गई कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

अंतत: इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार सुनिश्चित करेगा कि उसे कोई भी सेवा उचित एवं तय समय सीमा में मिल सके।

इसके तहत पंचायत स्तर से लेकर केन्द्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है।

नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी देकर बेवजह काम लटकाने वाले सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है। इस विधेयक के दायरे में सरकार से सहायता प्राप्त एनजीओ भी होंगे। इस बिल के पास होने पर देश के हर व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि उसे कोई भी सेवा एक उचित और तय समय सीमा में मिले। इसके अलावा यदि उसे संबंधित सेवा से कोई शिकायत है तो उसका निपटारा भी एक निश्चित समय सीमा में हो जाए।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर इस नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक में आयकर रिटर्न, पेंशन, जन्म, जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, व मृत्यु प्रमाणपत्र से संबंधित महत्त्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत तय समय सीमा के भीतर काम न होने पर प्रतिदिन

Copyright– Drishti The Vision Foundation

250 रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसकी रिकवरी के स्रोत का इसमें उल्लेख नहीं है। मध्य प्रदेश तथा दिल्ली समेत देश के अनेक राज्यों में ये कानून पहले से ही लागू हैं।

नागरिक घोषणा-पत्र के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने में विभिन्न बाधाएँ
(Various Obstructions in Effectively Achieving the Objectives of Citizen Charter)

- भ्रष्टाचार की वजह से प्रतिकूल असर पड़ा जैसे कि निष्पादन और निष्पक्षता तथा सेवाओं के मानदण्डों पर।
- सिविल सेवाओं में परंपरागत शासक वर्ग की मानसिकता उचित रूप से नहीं बदली जा सकी। इसके लिए ज़्यादा सेवा दृष्टिकोण चाहिए।
- भले ही सूचना के अधिकार का कानून लाया गया हो, फिर भी पर्याप्त रूप से पारदर्शिता की कार्य संस्कृति को नहीं लाया जा सका।
- कर्मियों में जनसंपर्क पक्ष या कार्मिक विकास के अन्य मुद्दों में अभी भी कमियाँ हैं।
- लोक सेवाओं में नागरिक घोषणा-पत्र की आवश्यकतानुसार कई मूल्यों का उचित निर्माण नहीं किया जा सका।
- सांगठनिक आधुनिकीकरण और संचार सुधार इत्यादि से बजट और वित्त की उपलब्धता में जो कमियाँ रहीं, उसका प्रतिकूल असर पड़ा।
- उच्चस्थ अधीनस्थ संबंधों की दृढ़ता की वजह से टीम भावना पर प्रतिकूल असर पड़ा।
- विकासशील देशों में उपभोक्ता जागरूकता या चेतना में कमियों का प्रतिकूल असर पड़ा।

नागरिक घोषणा-पत्र को बेहतर रूप से लागू करने हेतु सुझाव
(Suggestions to Implement Preferably the Citizen Charter)

- नागरिक घोषणा-पत्र, सूचना का अधिकार और जनसंपर्क के मुद्दों पर प्रशिक्षण व जागरूकता बढ़ायी जाये।
- भर्ती प्रक्रिया में वैज्ञानिक और सेवा दृष्टिकोण के कार्मिकों के आधार को बढ़ाया जाये।
- सुशासन और नागरिक घोषणा-पत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए महत्त्वपूर्ण विषयों को सिविल सेवा आचार संहिताओं में डाला जाना चाहिए।
- संगठनों/विभागों के वार्षिक निष्पादन लक्ष्यों को नागरिक घोषणा-पत्र के मिशन से जोड़ा जाना चाहिए।
- पदसोपानिक दृढ़ता को कम किया जाना चाहिए और टीम कार्य संस्कृति को बढ़ाया जाये।
- नागरिक घोषणा-पत्र के श्रेष्ठ अनुभवों की सूचनाओं का बेहतर रखरखाव और ज़्यादा अच्छा तुलनात्मक विश्लेषण किया जाये।
- संगठनों के निष्पादन मूल्यांकन में संभव स्तर तक संबंधित सेवा वर्गों की भागीदारी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री पुरस्कारों को बेहतर रूप से लागू किया जाए।
- निजी क्षेत्र के कुछ निष्पादन मूल्यांकन अनुभवों को लोकतंत्र में उपयोग किए जाने का प्रयास करना चाहिए।

Copyright– Drishti The Vision Foundation